RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg No. MCS /170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३, अंक १४] शुक्रवार, मार्च ३१, २०१७/चैत्र १०, शके १९३९ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २३

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक ३१ मार्च २०१७ ई.को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. XIX OF 2017.

A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE, 1966.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १९ सन् २०१७।

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् १९६६ का महा. ४१।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिये, भारत गणराज्य के अडसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१७ कहलाए ।

सन् १९६६ का महा. ४१ में धारा २२ क की निविष्टि।

२. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ की धारा २२ के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् १९६६ का महा. ४१।

गायरान भूमि के उपयोग के विचलन पर रोक ।

"२२क. (१) उप-धारा (२) या, यथास्थिति, (३) में उपबंधित परिस्थितियों को छोडकर ग्रामीण पशुओं के खुले चरागाह के लिये कलक्टर द्वारा पृथक रखी गयी भूमि (जिसे इसमें आगे, "गायरान भूमि" कहा गया है) किसी अन्य उपयोग के लिये विचलन, मंजूर या पट्टे पर नहीं दी जायेगी।

(२) ऐसी गायरान भूमि, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किन्ही कानूनी प्राधिकरण या किन्ही लोक प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन उपक्रम (जिसे इसमें आगे, इस धारा में, " लोक प्राधिकरण " कहा गया है) द्वारा लोक प्रयोजन या लोक परियोजना के लिये विचलन, मंजूर या पट्टे पर दी जा सकेगी, यदि ऐसे लोक प्रयोजनों या लोक परियोजनाओं के लिये सरकारी भूमि के अन्य यथोचित टुकडे उपलब्ध नहीं है।

(३) गायरान भूमि सरकारी प्राधिकरण न होते हुए, परियोजना प्रस्तावक के लिए किसी परियोजना के लिये दिक्परिवर्तन, मंजूरी या पट्टे पर दी जा सकेगी, जब ऐसी गायरान भूमि अपरिहार्य रुप से **ऐसी परियोजना के लिए** आवश्यक हैं और उप-धारा (४) और (५) में यथा उपबंधित क्षतिपूरक भूमि ऐसा परियोजना प्रस्तावक राज्य सरकार को अन्तरित कर सकेगा।

(४) उप-धारा (३) के अधीन राज्य सरकार को अन्तरित की जानेवाली क्षतिपूरक भूमि उस राजस्व ग्राम में **गायरान** भूमि के क्षेत्र से दुगने के समान होगी और उसका मूल्य उप-धारा (३) के अधीन इस प्रकार आंबटित **गायरान** भूमि के मूल्य से कम नही होगा :

परन्तु, क्षतिपूरक भूमि का क्षेत्र जहाँ आवश्यक हो, यथोचित रूप से बढाया जायेगा, ताकि उप-धारा (३) के अधीन इस प्रकार आंबटित **गायरान** भूमि के मूल्य के लिये, उसके समान मूल्य हो।

(५) उप-धारा (३) के अधीन राज्य सरकार को अन्तरित की जानेवाली क्षतिपूरक भूमि, किसी अन्य विधि, तद्धीन बनाये गये नियम या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल खुले चरागाह या ग्रामीण पशुओं के उपयोग के लिये या घॉस या चारा आरक्षित के लिये धारा २२ के अधीन कलक्टर द्वारा समनुदेशित की जायेगी।

(६) उप-धारा (१) के अधीन भूमि के दिक्परिवर्तन या गायरान के पट्टे की मंजूरी, राज्य सरकार से अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा नहीं दी जायेगी और धारा ३३० क में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन राज्य सरकार की शक्तियाँ, इससे अधीनस्थ किसी अधिकारी या अन्य प्राधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण.—(क) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, "लोक प्रयोजन" अभिव्यक्ति का अर्थ, भूमि अर्जन, पुनर्वास तथा पुनःस्थापन में उचित क्षतिपूर्ति तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ में इसे यथा समनुदेशित अर्थ के समान है। सन् २०१३ का ३०।

(ख) उप-धारा (३) के अधीन परियोजना के लिये, जहाँ ऐसी भूमि अपरिहार्य रूप से आवश्यक है या नहीं है, यह प्रश्न प्रथम विभागीय आयुक्त की सलाह पर राज्य सरकार द्वारा अभिनिर्धारित किया जायेगा। "।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य ।

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ (सन १९६६ का महा. ४१) की धारा २२ के अधीन, गाँवों या उनके भागों में, अनधिवासित भूमि (किन्हीं व्यक्तियों का विधिपूर्ण अधिवास न हो) वन या इंधन के लिये आरक्षित है, ग्रामीण पशूओं के खुले चरागाह के लिये या घाँस या चारा के लिये आरक्षित है, दफनभूमि या श्मशान ग्राउंड के लिये, **गावठान** के लिये, शिविर मैदान के लिये, खलिहान के लिये, बाजार के लिये, स्किनिंग ग्राऊंड के लिये, सड़कों, गलीयों, पार्कों, नालियों जैसे लोक प्रयोजनों के लिये या किसी अन्य लोक प्रयोजनों के लिये पृथक रखी है और भूमियाँ इस प्रकार ग्रामीण पशुओं के खुले चरागाह के लिये या घाँस या चारा आरक्षित भूमि पृथक रखी गई गयी है को "**गायरान** भूमि" या "**गुरचरण** भूमियाँ" कहाँ जाता है।

ऐसी **गायरान** भूमि या **गुरचरण** भूमियों के अप्रतिबंधित दिक्परिवर्तन के रोकथाम के उद्देश से राज्य सरकार ने, विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किये हैं और यह विनिश्चित किया हैं कि, ऐसी भूमियाँ, अपवादात्मक मामलों में भी, निजी व्यक्तियों या संगठनों को आबंटित नहीं की जायेगी। तथापि, ऐसे मागदर्शक सिद्धांत उक्त संहिता में यथोचितरित्या सम्मिलित नहीं किया गया है। राज्य के योजनाबद्ध वृद्धि और आर्थिक विकास के लिये और राज्य का वृद्धि दर बनाए रखने के लिये भी, इसके साथ-साथ विभिन्न सरकारी तथा निजी परियोजनाओं के शीघ्रता से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये, सरकार, उपबंध कर इष्टकर समझती है, जो, ऐसी भूमियों के आबंटन की प्रक्रिया को प्रवाह रेखा में लाये, जो ऐसी परियोजनाओं के लिये अपरिहार्य रूप से आवश्यक है। इन प्रयोजनों के लिये, राज्य सरकार, परियोजनाओं और निजी परियोजनाओं के लिये ऐसी भूमि का आबंटन, निबंधनों के अध्यधीन कि, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किन्ही कानूनी प्राधिकरण या किन्ही लोक प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन उपक्रम संबंधित परियोजना प्रस्तावक से अन्य है तो ऐसी **गायरान** भूमि के बदले में, राज्य सरकार को अन्तरित उसी गाँव में, क्षतिपूर्ति भूमि, जिसका क्षेत्र ऐसी परियोजना के लिये जरुरी **गायरान** भूमि के क्षेत्र से दुगने के समान है और जिसका मूल्य ऐसी **गायरान** भूमि के मूल्य से कम नहीं है और यह की, बदले में राज्य सरकार को अंतरित ऐसी क्षतिपूर्ति भूमि का, केवल ग्रामीण पशूओं के खुले चरागाह के लिये उपयोग के लिये धारा २२ के अधीन समनुदेशित किया जायेगा, जिसके लिये राज्य सरकार को समर्थ बनानेवाले विशिष्ट उपबंध, उक्त संहिता में सम्मिलित करना इष्टकर समझती है। इस प्रयोजनों के लिये, उक्त संहिता में, नयी धारा २२ क निविष्ट करना, प्रस्तावित है।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

स्थान : मुंबई,

दिनांकित : २९ मार्च, २०१७।

चंद्रकांत (दादा) पाटील,

राजस्व मंत्री ।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,

मुंबई,

दिनांकित : ३१ मार्च, २०१७ ।

डॉ. अनंत कळसे,

प्रधान सचिव,

महाराष्ट्र विधानसभा ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.